न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, कम्प–सागर (मध्य प्रदेश)

प्रकरण क्रमांक– /निगरानी/2012–13 R-2993-III/13

श्रीमति रामदेवी पत्नि रामरतन शिवहरे निवासी **निवाड़ी**
हाल निवासी पन्ना जिला–पन्ना म.प्र. ....**निगराकार**

बनाम

म.प्र. शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 288/निगरानी/ 2010–11 आदेश दिनांक 22–10–2012 के विरूद्ध से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि निगराकार को दिनांक 22–8–73 को नायव तहसीलदार निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के द्वारा भूमि ख.नं. 455/10 रकवा 2.023 हैक्टे. स्थित ग्राम ओरछा का अस्थाई पट्टा कृषि कार्य हेतु दिया गया था तथा इस भूमि पर निगराकार प्रारम्भ से ही कृषि कर रही है और वर्तमान में भी काविज है तथा भूमि में भारी रूपया खर्च करके एवं श्रम करके विकास व सुधार कर लिया है। इस भूमि का पट्टा अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. निवाड़ी के द्वारा निगराकार को सूचना दिये वगैर ही दिनांक 4–6–86 में निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी की गयी थी जो अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दी गयी, ऐसा आदेश विधि विधान व पत्रावली के प्रतिकूल होने से खारजी योग्य है।

(2) यह कि वर्ष 1984 के पूर्व के सभी शासकीय पट्टेदारों को म.प्र. शासन राजस्व विभाग (शाखा–2–ए) के ज्ञापन क्रमांक 16–1/84/2ए भोपाल दिनांक 27–6–84 द्वारा भूमि स्वामी घोषित किया जा चुका है, इस भूमि के अलावा निगराकार के पास अन्य भूमि नहीं है और इसी भूमि से वह अपना व परिवार का भरण पोषण करती चली आ रही है किन्तु न्यायालय एस.डी.ओ. निवाड़ी के द्वारा निगराकार को नोटिस या सूचना दिये वगैर ही दिनांक 4–6–86 को उक्त पट्टा निरस्त करने में भारी कानूनी भूल की है। तथा न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा भी गुण दोषों पर विचार नहीं किया गया और प्रारंभिक तर्क में ही अंतिम आदेश कर दिया गया। तहसीलदार ओरछा से भौतिक सत्यापन कब्जा रिपोर्ट आदि नही मांगी गयी, ऐसा आदेश हस्तक्षेप योग्य है।

(3) यह कि अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. निवाड़ी द्वारा निगराकार को अपना पक्ष समर्थन रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर आदेश किया है। कथित पट्टे के संबंध में स्वमेव निगरानी के अधिकार संहिता में श्रीमान कलेक्टर महोदय को दिये गये हैं। अधिकारिता रहित आदेश किया गया था जो चुनौतित किया गया जिस तथ्य पर भी कोई विचार नहीं किया गया और न ही क्षेत्राधिकार को देखा गया जिससे यह आदेश निरस्ती योग्य है।

(4) यह कि, इस आदेश की जानकारी निगराकार को नहीं दी गयी। दिनांक 5–9–2011 को जब निगराकार हल्का पटवारी के पास नई ऋण पुस्तिका बनवाने गई तब उन्होंने बताया कि यह जमीन वर्तमान में म.प्र. शासन के नाम दर्ज है, तब एस.डी. ओ. कोर्ट निवाड़ी जाकर जानकारी की, तो वहां कोई जानकारी नहीं हुयी, इसके पश्चात् टीकमगढ़ जिला अभिलेखागार से वर्ष 1983–84 से 1987–88 तक की खसरा नकले ली तो वर्ष 1985–86 में एस.डी.ओ. न्यायालय के प्रकरण क्रमांक की जानकारी हुयी तब [illegible] निवाड़ी जाने पर दिनांक [illegible]–2011 को ही इस प्रकरण के जमा की तारीख की

CANCELLED.
B.O.R.
6 JUL 2013
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2993–तीन / 2013 जिला–टीकमगढ़

श्रीमती रामदेवी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 288 / निगरानी / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 22–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–10–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	